न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

सतनाम सिंह *बनाम* चरणजीत सिंह वगैरह

अन्तर्गत धारा:– 212 आर.टी.ए.

नम्बर:– 44...../2021

प्रार्थी :– श्री गुरचरण सिंह वकील:– अप्रार्थी:–.....

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख जारी हुआ
2021	वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का पेश किया। सरिस्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस एकपक्षीय रूप से सुनी गई। बहस अधिवक्ता, शपथ पत्र संलग्न दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि उभयपक्ष आगामी तारीख पेशी तक प्रश्नगत आराजी चक 8 एल.एल. के खाता संख्या 82/65 के मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 1 ता 8 की कृषि भूमि में अपने हक हिस्से से अधिक कृषि भूमि का विशिष्ट किलों में रहन बैय व अन्तरण न करें। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड ए.डी. से तामील करवाकर 3 दिवस में रसीदें पेश करें। इसके अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 16.07.2021 को पेश हो।	
7/4	अभिभाषक उपस्थित, पार्टी अभिभाषक द्वारा आदेश पत्रिका पर Not Pressed टिप्पणी अंकित करते हुए हस्ताक्षर किए अतः पत्रावली में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली वर्तमान रूप पर खारिज की जाती है। पत्रावली वापसीबद्ध है, पत्रावली दायर पंजिका के क्रम से कम की जाकर निर्णय की सूची में शामिल हो। उम्मेदसिंह रत्नू (R.A.S) सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर	Not Pressed 16.7.2021